

**न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्रमांक : 525 / 2008

संस्थापन दिनांक 13.10.2005

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—फौदलसिंह पुत्र बालिस्टरसिंह भदौरिया उम्र 30 साल
निवासी ग्राम पड़कौली थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20-21.07.05 की दरमियानी रात हनुमान मंदिर रूपावई में हनुमानजी के मंदिर से 11 घण्टा पीतल के कीमती 1000/-रुपये के तेजन कुशवाह अ0सा05 की बिना अनुमति के सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए अपने अधिपत्य में लिए।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी तेजन अ0सा05 ग्राम रूपावई स्थित हनुमान मंदिर का पुजारी है तथा दिन में पूजा करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। दिनांक 20-21.07.05 दिन बुधवार, गरुवार की दरमियानी रात को वह अपने घर पर था तथा सुबह जब मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा तो मंदिर में लटके 11 घण्टे नहीं मिले तथा घण्टों की काफी तलाश करने पर भी घण्टे नहीं मिले। उक्त 11 घण्टे कुल कीमती 1000/-रुपये को कोई चुराकर ले गया था। तत्पश्चात फरियादी तेजन अ0सा05 ने थाने पर आवेदन प्र0पी-5 दिया जिस पर से थाना मौ में अप0क्र0 129/05 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-6 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना में आरोपी को गिरफ्तार कर मैमोरेण्डम प्र0पी-2 लिया गया जिसके आधार पर चुराई गयी संपत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी-3 के अनुसार जप्त हुई। शिनाख्ती प्र0पी-4 के अनुसार घण्टों की पहचान कराई गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार विचारण का दावा किया है आरोपी की

मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या घटना दिनांक 20-21.07.05 की दरमियानी रात हनुमान मंदिर रूपावई में हनुमानजी के मंदिर से 11 घण्टा पीतल के कीमती 1000/-रुपये के तेजन कुशवाह अ0सा05 की बिना अनुमति के सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए अपने अधिपत्य में लेकर चोरी कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. तेजन अ0सा05 ने कथन किया है कि दिनांक 19.12.06 से एक वर्ष पूर्व की घटना है। वह रूपावई में हनुमानजी के मंदिर का पुजारी है और पूजा करने के बाद रात में घर चला जाता है। घटना के समय जब वह रात को पूजा करके अपने घर गया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर से 16-17 घण्टे चुरा लिए जिन्हें उसने बगल वाले कमरे में फोड़ा था। घण्टों की कीमत 2000/-रुपये थी उसके द्वारा आवेदन प्र0पी-5 और आवेदन प्र0पी-6 पुलिस को दिए गए थे। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका प्र0पी-7 बनाया था।
6. साक्षी मोहम्मद खां अ0सा06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.03.05 को थाना मौ में प्र0आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप0क्र0 129/05 धारा 379 भा.द.स. की प्रथम सूचना उसे विवेचना हेतु सुपुर्द की थी। उसी दिनांक को उसने साक्षी शिवनाथसिंह अ0सा01, दशरथसिंह अ0सा04 के प्रथक-प्रथक कथन लिए थे जैसा उनके द्वारा बोला गया था वैसा ही कथन लेख किया था। उसी दिनांक को आरोपी फौदल सिंह को ग्राम पड़कौली से साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा उसी दिनांक को आरोपी फौदल उर्फ उदयसिंह के द्वारा स्वेच्छा से साक्षीगण के समक्ष कथन दिया था कि मैंने रूपावई के मंदिर से जो घण्टा प्राप्त किए हैं उसे मैंने अपने घर के कमरे में बोरी के अंदर छिपाकर रख दिए हैं चलो चलकर बरामद कराये देते हैं। मैमोरेण्डम प्र0पी-2 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुताबिक मैमोरेण्डम साक्षीगण के समक्ष आरोपी के मकान से एक बोरी में 13 किलो 600 ग्राम पीतल के टूटे हुए 8 ण्टे तथा 2 किलो 600 ग्राम लोहा जप्त किया था जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. साक्षी शिवनाथ अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 28.09.05 को 01:30 बजे पुलिस उसे गल्ला मण्डी से थाने पर ले गयी। जहां पर उसके सामने पुलिस ने आरोपी फौदल से पूछताछ की तो उसने बताया था कि चोरी के घण्टे उसने अपने घर में बांये हाथ के कमरे में रख दिए हैं जिसका पुलिस ने मैमो प्र0पी-2 लिया था। पुलिस ने आरोपी के घर से घण्टे जप्त किए थे और जप्ती पत्रक प्र0पी-3 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को उसके सामने गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 के अनुसार गिरफ्तार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
8. साक्षी दशरथ अ0सा04 ने कथन किया है कि दिनांक 21.11.06 से एक वर्ष पूर्व आरोपी फौदल बेहट रोड मण्डी में घूम रहा था जो पुलिस को देखकर

भागने लगा था जिस कारण पुलिस ने उसका पकड़ा व तलाशी ली तो उससे कट्टा व कारतूस बरामद हुए थे उसके बाद पुलिस आरोपी को थाने पर ले गयी व पूछताछ की तो फौदल ने बताया कि असौई मंदिर से चुराये गये पीतल के घण्टे उसने अपने घर के कमरे में रख दिए हैं उसके बाद पुलिस फौदल को ग्राम पड़कौली ले गयी थी जहां फौदल के घर से दाहिनी ओर स्थित कमरे से 13 किलो 600 ग्राम पीतल के घण्टे बरामद किए थे जो लोहा हटाने पर 11 किलो थे जिनकी कीमत एक हजार रुपये थी। उक्त घण्टे टूटे हुए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने पूछताछ के दौरान मैमोरेण्डम प्र0पी-2 दिया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्र0पी-3 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार उसके बयान लेखबद्ध किए थे।

9. साक्षी दीनदयाल अ0सा03 ने कथन किया है कि उसने वर्तमान अपराध का नक्शा मौका तैयार किया था और साक्षी के कथन लेख किए थे पर उसे आरोपी ज्ञात नहीं हुआ था।
10. साक्षी आनन्द कुमार अ0सा02 ने कथन किया है कि वह ग्राम 30.09.05 को नगर पंचायत मौ में सी.एम.ओ. के पद पर पदस्थ था तब पुलिस थाना मौ में उसे बुलाया गया और पहुंचने पर कहा गया कि किसी अपराध में पीतल के घण्टे वगैरह जप्त हुए हैं और उससे जप्ती के संबंध में हस्ताक्षर कराये थे जो उसने पुलिस के कहने से कर दिए थे। शिनाख्ती पत्रक प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पीतल के घण्टों की किसी व्यक्ति ने कोई पहचान नहीं की थी।
11. शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 2 में और दशरथ अ0सा04 ने पैरा 3 व 5 में इस आशय के सुझावों को स्वीकार किया है कि वह दोनों भाई हैं और यदुनाथ भी उनका भाई है जिसकी पत्नी शीला है और शीला और आरोपी फौदल के संबंध में जो उन्हें अच्छे नहीं लगते जिस कारण उनकी समाज व रिश्तेदारी में व ग्राम पड़कौली में बदनामी हो रही है। शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 2 में और दशरथ अ0सा04 ने पैरा 8 में स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपी और अपनी भाभी शीला के भी विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट की है और प्रतिपरीक्षण में दोनों ही साक्षीगण ने इस आशय के सुझावों से इंकार किया है इस कारण वह आरोपी के संबंध में असत्य कथन कर रहे हैं। अतः मैमोरेण्डम प्र0पी-2, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 व जप्ती पत्रक प्र0पी-3 के अभिलिखित दोनों ही स्वतंत्र साक्षीगण ने आरोपी से अपनी भाभी के संबंध होने के कारण पूर्व से द्वेष होना स्वीकार किया है और आरोपी के विरुद्ध अन्य अपराध भी पंजीबद्ध कराया जाना स्वीकार किया है अतः दोनों ही साक्षीगण स्वतंत्र साक्षी न होकर हितबद्ध साक्षी हैं।
12. शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि वह घटना दिनांक को मौ मण्डी में गल्ला बेचने के लिए गया था और 01:30 बजे पहुंच गया था। लेकिन दशरथ अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि वह मण्डी प्रांगण में नहीं गया था। अतः दोनों ही साक्षीगण ने अलग तथ्य बताये हैं। शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि वह दस मिनट गल्ला मण्डी में रुका और बीस मिनट में गल्ला मण्डी से थाने पहुंचा। अतः जबकि 01:15 बजे आरोपी फौदल की गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 के अनुसार थाना मौ में गिरफ्तारी है तब 02:00 बजे शिवनाथ अ0सा01

का थाने में पहुंचने से उसके समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी प्रमाणित नहीं होती है। दशरथ अ0सा04 ने पैरा 4 में बताया है कि घटनास्थल पर ही पुलिस ने 4-5 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और उसके साथ जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये थे उसका नाम वह नहीं जानता। अतः उक्त दस्तावेज प्र0पी-1 लगायत 3 पर दशरथ अ0सा04 के अलावा उसके भाई शिवनाथ अ0सा01 के हस्ताक्षर हैं और उसी का नाम उसने ज्ञात न होना बताया है जिससे दस्तावेज प्र0पी-1 लगायत 3 की कार्यवाही वस्तुतः दोनों ही साक्षीगण की एक ही समय में उपस्थित होने पर की जाना अविश्वसनीय हो जाती है।

13. जप्ती पत्रक प्र0पी-3 के संबंध में दशरथ अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि जप्ती के लिए पुलिस पहले ग्राम पड़कौली निकल गयी थी और बाद में वह और शिवनाथ अ0सा01 ट्रैक्टर से निकले और 15-20 मिनट बाद ग्राम पड़कौली पहुंचे तब पुलिस गांव के बाहर आते हुए मिली और रास्ते में ही रोककर पुलिस ने उनके हस्ताक्षर करवा लिए और पुलिस ने ही बताया था कि आरोपी के पास से 13 किलो 600 ग्राम वजनी घण्टे मिले हैं। पुलिस ने घण्टों वाला कट्टा खोलकर नहीं दिखाया। अतः आरोपी के घर पर जप्ती के समय दशरथ अ0सा04 की उपस्थिति अस्वाभाविक हो जाती है और उसने आरोपी से घण्टे जप्त होने के संबंध में पुलिस के वर्णानुसार अनुश्रुत साक्ष्य दी है और अनुश्रुत साक्षी के रूप में भी उसने पुलिस के अधिपत्य में भी घण्टे नहीं देखे हैं। दशरथ अ0सा04 ने पैरा 8 में बताया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-3 पर 12:30 बजे मण्डी रोड पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे और वह तीन बजे गांव में पहुंचे थे। अतः अब बदलकर जप्ती पत्रक प्र0पी-3 पर रास्ते के स्थान पर मण्डी पर ही हस्ताक्षर करना बताया है और वह भी जप्ती पत्रक प्र0पी-3 में वर्णित समय 14:30 बजे से भिन्न 12:30 बजे का बताया है। अतः दशरथ अ0सा04 के कथन से जप्ती पत्रक प्र0पी-3 के संबंध में उसके द्वारा दी गयी साक्ष्य पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है।
14. शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि पुलिस उसे और फौदल को साथ लेकर गल्ला मण्डी से ही थाने आयी थी। अतः गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 जोकि थाना मौ में बनाया जाना वर्णित है इस साक्षी के कथन से अविश्वसनीय हो जाता है क्योंकि उसने आरोपी को गल्ला मण्डी से ही पुलिस द्वारा प्राप्त करना बताया है।
15. शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 5 में बताया है कि थाने पर 2-3 दस्तावेजों पर पुलिस ने हस्ताक्षर करवाये थे जोकि हस्तलिखित दस्तावेज थे और प्रिंटेड दस्तावेज नहीं थे वह प्रिंटेड और हस्तलिखित दस्तावेजों को जानता है। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 व जप्ती पत्रक प्र0पी-3 प्रिंटेड प्रारूप के दस्तावेज हैं। अतः इस साक्षी को अनुप्रमाणन साक्षी होते हुए भी दस्तावेज के प्रारूप की जानकारी नहीं है।
16. दशरथ अ0सा04 ने पैरा 7 में बताया है कि जिस समय आरोपी को पकड़ा था वह सफेद पैन्ट और हल्के रंग की शर्ट पहने था। जबकि शिवनाथ अ0सा01 ने भी पैरा 7 में बताया है कि जब फौदल को पकड़ा था तब वह हल्के स्लेटी रंग से गहरा सफारी सूट पहने हुए था। उक्त तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरफ्तारी के समय यह दोनों साक्षीगण साथ में उपस्थित रहना अभियोजन मामले में वर्णित है और उन्होंने आरोपी की वेशभूषा याद न होना नहीं बताया है। अपितु स्पष्ट स्मृति से वेशभूषा वर्णित की है जोकि परस्पर विरोधाभासी है अतः उक्त दोनों साक्षीगण दशरथ अ0सा04 और शिवनाथ अ0सा01 के समक्ष आरोपी को

गिरफ्तार किया जाना भी संदेहास्पद हो जाता है।

17. शिवनाथ अ0सा01 और दशरथ अ0सा04 के कथन की उपरोक्त विवेचना से वह दोनों हितबद्ध साक्षी होना प्रमाणित हुए हैं। शिवनाथ अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि गल्ला मण्डी में तत्समय 1000-500 आदमी थे और पैरा 5 में बताया है कि जब गांव से पुलिस गयी थी तब मोहल्ले के अन्य लोग भी मौजूद थे लेकिन पुलिस ने किसी व्यक्ति से हस्ताक्षर करने को नहीं कहा। अतः जबकि स्वतंत्र साक्षी विवेचना की कार्यवाही में उपस्थित थे तब भी हितबद्ध साक्षीगण को ही अनुप्रमाणन साक्षी बनाया जाना का अभियोजन मामले में कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।
18. प्रकरण में अभियोजन द्वारा तेजन अ0सा05 से शिनाख्ती प्र0पी-4 की अर्तवस्तु प्रमाणित नहीं कराई गयी है और ना ही उसके द्वारा ऐसा कथन किया गया है कि उसने जप्त घण्टों को पहचाना हो। अपितु तेजन अ0सा05 ने पैरा 2 में बताया है कि उसने थाने के अलावा किसी अन्य स्थान पर निशानी अंगूठा नहीं लगाया। अतः पुलिस की अनुपस्थिति में तेजन अ0सा05 के समक्ष शिनाख्ती की कार्यवाही की जाना भी प्रमाणित नहीं होती है। साक्षी आनन्द अ0सा02 जोकि तत्समय नगर पंचायत मौ में सी.एम.ओ. के पद पर पदस्थ था, ने भी स्वयं के द्वारा शिनाख्ती प्र0पी-4 के अनुसार घण्टे पहचानवाने से भी इंकार किया है। अतः आनन्द अ0सा02 शिक्षित व महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ है और उसके द्वारा शिनाख्ती प्र0पी-4 थाने पर बनवाया जाना और घण्टे की पहचान न कराई जाना शिनाख्ती प्र0पी-4 की कार्यवाही को और अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं जिससे वस्तुतः चुनाई गयी वस्तु की फरियादी से शिनाख्ती कारया जाना ही उपरोक्तानुसार प्रमाणित नहीं होती है। अतः आरोपी से प्राप्त संपत्ति ही चुरायी गयी संपत्ति थी इस संबंध में अभियोजन ने विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है।
19. मोहम्मद खां अ0सा06 ने प्रतिपरीक्षण में इस आशय के तथ्यों से इंकार किया है कि आरोपी से मैमोरेण्डम प्र0पी-2 व जप्ती प्र0पी-3 की कार्यवाही साक्षीगण के समक्ष नहीं की गयी है जबकि उपरोक्त विवेचना अनुसार हितबद्ध साक्षी शिवनाथ अ0सा01 और दशरथ अ0सा04 के कथन से उनके समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 व जप्ती पत्रक प्र0पी-3 की कार्यवाही उपरोक्त विरोधाभासी कथन के आलोक में विश्वसनीय रूप से की जाना प्रमाणित नहीं होती है। जबकि उक्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षीगण होना प्रमाणित हुए हैं।
20. अतः जप्ती पत्रक प्र0पी-3 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-1 के संबंध में शिवनाथ अ0सा01 और दशरथ अ0सा04 ने परस्पर विरोधाभासी कथन किए हैं। जिससे उक्त दस्तावेज उनके समक्ष निष्पादित किया जाना विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है और संपुष्टि के अभाव में विरोधाभासी तथ्यों के आलोक में विवेचक मोहम्मद अ0सा06 के कथन भी एकल साक्षी के रूप में निर्भर रहने योग्य प्रमाणित नहीं होते हैं। स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति के बाद भी हितबद्ध साक्षीगण को पक्षकार बनाया जाना अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है। अभिलिखित रूप से आरोपी से प्राप्त संपत्ति ही चुराई हुई संपत्ति थी। यह शिनाख्ती के अभाव में प्रमाणित नहीं हुआ है अपितु शिनाख्ती ही प्रतिकूल रूप से प्रमाणित हुई है जिसका अभियोजन कोई स्पष्ट कारण व्यक्त नहीं कर सका है कि उक्त दस्तावेज प्र0पी-4 किस कारण से असत्य विरचित किया गया। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला

युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है।

21. अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 20-21.07.05 की दरमियानी रात हनुमान मंदिर रूपावई में हनुमानजी के मंदिर से 11 घण्टा पीतल के कीमती 1000/-रुपये के तेजन कुशवाह अ0सा05 की बिना अनुमति के सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए अपने अधिपत्य में लेकर चोरी कारित की।
22. परिणामतः आरोपी को धारा 379 भा.द.स. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
23. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
24. प्रकरण में जप्त संपत्ति एक हजार रुपये मूल्य के 13 किलो 600 ग्राम पीतल व 2 किलो 600 ग्राम लोहा को प्राप्त करने के लिए किसी के द्वारा दावा नहीं किया गया है अतः उक्त संपत्ति अपील अवधि पश्चात राजसात की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
सासकीय / विधिक उपयोग हेतु